

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/13736/जोन-उदयपुर/2023/

दिनांक:-

आदेश

लीलावन्ती रैगर, नर्सिंग ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवगढ, राजसमंद को विदेश यात्रा मलेशिया दिनांक 05.09.2023 से 17.09.2023 तक (13 दिवस) की अनुमति निम्न शर्तों पर प्रदान कि जाती है।

1. कार्मिका विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत प्रस्थान करेंगा तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होगी।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेगी।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. कार्मिका विदेश जाकर किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेगा।
7. विदेश प्रवास के दौरान किसी भी तरह की राष्ट्र विरोधी/अवैधानिक गतिविधियों से संबंधित नहीं रहेगी।

उक्त स्वीकृति राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 35(28)/चिस्वा /युप-3/2017 दिनांक 16.11.17 के अनुसरण में जारी की जा रही है।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/13736/जोन- उदयपुर /2023/368 दिनांक:- 06-09-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन _____।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमंद।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवगढ राजसमंद
4. लीलावन्ती रैगर, नर्सिंग ऑफिसर को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी, सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Surish Kumar
Naval
Designation Director
Date: 2023.09.06 17:29:28 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4651415

